

पत्र संख्या-स्था-5 (ख) पदोन्नति-प्रशा0 अधि0-2025-26// 3659 //राज्य कर,
कार्यालय-आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 17 अक्टूबर, 2025

-::आदेश::-

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2014 में दिये गये प्राविधानानुसार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर राज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायकों (वेतन बैंड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4200 / लेवल-6) को प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैंड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4600 / लेवल-7) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्रम सं०	ज्ये० क्रमांक	कर्मचारी का नाम एवं पिता/पति का नाम	वर्तमान तैनाती जोन का नाम	जन्मतिथि
01	2103	बख्तियार अहमद सिद्दीकी / रुखसार अहमद सिद्दीकी	मुख्यालय	02-03-1969
02	2104	संजीव कुमार कनौजिया / बी०एल० कजौजिया	मुख्यालय	20-02-1972
03	2105	योगिता सिंह/ सन्तोष कुमार	मुख्यालय	11-09-1972

2- उपरोक्त पदोन्नत कर्मिक अपने वर्तमान पद पर पूर्ववत कार्य करते रहेंगे । पदोन्नत कर्मिकों की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे ।

3- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुए प्रशासनिक अधिकारी के पद पर दिनांक 29-10-2025 तक कार्यभार ग्रहण कराये तथा यदि कोई कर्मिक किन्हीं कारणों से पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न हो, तो उनसे उक्त आशय का पदोन्नति फोरगो प्रार्थना पत्र प्राप्त करके तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये।

4- यदि किसी कर्मिक द्वारा निर्धारित तिथि तक पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उक्त पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी ।

5- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी/सम्भागीय अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कर्मिकों में से किसी कर्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अर्न्तगत आरोप पत्र/नोटिस निर्गत हो, सतर्कता जाँच ई०ओ०डब्ल्यू० जाँच चल रही हो तो ऐसे कर्मिक पर यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण न

कराए और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें।

उक्त आदेश आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोंपरान्त जारी किया जा रहा है।



(सुनील कुमार वर्मा)

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक // उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

✓ 2- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।

3- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी राज्य कर, मुख्यालय।

4- उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर मुख्यालय।

5- पटल प्रभारी स्था-5, स्था-6 (सामान्य), चरित्र पंजिका सेल (स्था० अराज०) राज्य कर, मुख्यालय।

6- सम्बन्धित कर्मचारियों को (नाम से)।

Digitally signed by
RAVI SHEKHAR SINGH
Date: 17-10-2025
15:17:10

(रवि शेखर सिंह)

संयुक्त आयुक्त (स्था० अराज०) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

12099

श्रीमती.....
कृपया अवगत करें।

दिन 27-10-25